गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 द्वारा प्रमाणित संस्था)

द्वारा

हिण्डन नदी के किनारे करैहडा गॉव के

निकट सिटी फॉरेस्ट

में

बोटिंग, जिप्सी व हॉर्स सफारी, फूड स्टाल एवं साईकिलिंग

व्यवस्था संचालन हेतु नियम एवं शर्तो की विवरणिका।

एक सुन्दर शहर..................हमारा संकल्प

मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)– ₹ 1298.00/–

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2000 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

<u>सिटी फॉरेस्ट में बोटिंग, जिप्सी व हॉर्स सफारी, फूड स्टाल व साईकिलिंग व्यवस्था संचालन हेतु नियम व शर्तेः–</u>

1. समस्त कार्यो की अवधि 5 वर्ष होगी।
2. प्रस्तावक को रू0 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र धरोहर राशि डी0डी0 के रूप में प्रस्ताव के साथ जमा करने होंगे। सर्वोच्च बोलीदाता को उक्त धनराशि जमानत के रूप मे जमा रहेगी। यह राशि कार्य के निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जायेगी। यह धनराशि सर्वोच्च बोली की राशि मे समायोजित नही होगी।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
4. यह कि इस नीलामी पर सिटी फॉरेस्ट पार्क में समस्त कार्यो का वार्षिक नीलामी अंशदान प्रत्येक वर्ष नीलामी वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख दिनांक .... से दिनांक.......................... तक पाँच वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगा, नीलामी विलेख शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार नीलामी विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष नीलामी की धनराशि मे 10% की वार्षिक वृद्धि/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो भी अधिक हो के आधार पर होगी।
5. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति तथा अन्य कार्यो का कब्जा नीलामी विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और नीलामीदाता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो नीलामीदाता को उक्त निर्णय मान्य होगा।
6. यह कि नीलामी अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही नीलामी विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। नीलामी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त नीलामी नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। नीलामी नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर नीलामीदाता को स्थल का कब्जा प्राधिकरण को वापिस सौंपना होगा।
7. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस–पास की सफाई तथा क्षेत्र का रख–रखाव का पूर्ण दायित्व नीलामीदाता का होगा और नीलामीदाता अपने खर्चे पर आवश्यक व्यवस्था स्वंय करेगा।
8. यह कि नीलामी पर दिये गये स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी नीलामी ग्रहिता की होगी व नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे नीलामी ग्रहिता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
9. यह कि नीलामीकर्ता को नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा नीलामीकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव नीलामीदाता को मान्य होंगे।
10. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर केन्द्र सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/ स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क कर, जी0एस0टी0 या अन्य देयता के अदा करने का दायित्व नीलामीदाता का होगा, नीलामीकर्ता उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. सिटी फॉरेस्ट के परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।
12. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तो में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।

Scanned by CamScanner

13. उच्चतम प्रस्तावक को 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय प्रस्तावक को उच्चतम बोली पर प्रस्तावित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक प्रथम उच्चतम प्रस्तावक की बोली पर कार्य लेने में सहमत होता है तो उससे लिखित सहमत प्राप्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक को उच्चतम प्रस्ताव के बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए समस्त कार्यो हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।

14. आयकर प्राविधानों के अनुसार समस्त कार्यो हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित देयकर व प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप में ठेका स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।

15. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।

16. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।

18. यदि समस्त कार्यो के संचालन की व्यवस्था समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

19. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।

20. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

21. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी भ्रमणकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।

22. संचालनकर्ता को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार ही शुल्क वसूला जायेगा।

23. स्थल पर विद्युत कनैक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा। संचालनकर्ता को प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता की दशा में उपयोग की गयी विद्युत की प्रतिपूर्ति के रूप में धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा करनी होगी। समय से भुगतान न करने पर अर्थदण्ड भी संचालनकर्ता को जमा करना होगा।

24. नीलामीदाता स्थल पर किसी प्रकार का खोखा/ठेला अथवा हॉकर्स की स्थापना नहीं करेगा। विशेष परिस्थिति में नियम शर्तो के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जायेगी।

25. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट–फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।

26. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विभागीय/स्टाफ के लिए समस्त कार्यो की व्यवस्था में 50 प्रतिशत की छूट रखनी होगी।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।

28. बोटिंग के लिए निर्धारित दर रू0 50.00 + जी0एस0टी0 प्रति व्यक्ति प्रति 30 मिनट से अधिक शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

29. दरो के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।

Scanned by CamScanner

30. समस्त कार्यो के संचालन हेतु कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
31. स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख–रखाव का दायित्व कार्यरत एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति एजेन्सी को स्वयं करनी होगी।
32. समस्त कार्यो की व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यून्तम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि का उत्तरदायित्व संचालन कर्ता का होगा।
33. समस्त कार्यो की व्यवस्था में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।
34. झील के जल भराव हेतु पानी के श्रोत की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, लेकिन जल भरने की व्यवस्था संचालन एजेन्सी स्वयं अपने व्यय से करेगी।
35. नीलामीकर्ता स्वयं अपने व्यय पर 20 नग बोट की व्यवस्था (क्रय) करेगा, जिसका साईज प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा, तथा प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त बोट स्थल पर रखनी होंगी।
36. बोट तथा बोट उपयोग करने वाले व्यक्तियों का नियमानुसार बीमा नीलामीकर्ता को अपने व्यय पर कराना होगा, तथा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व संचालन एजेन्सी का होगा।
37. बोट संचालन एजेन्सी को स्थल पर गोताखोर रखना अनिवार्य होगा।
38. बोटिंग संचालन का समय प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक रहेगा।
39. बोट संचालन एजेन्सी को सिटी फॉरेस्ट के नियम एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा।
40. संचालनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि जिप्सी एवं हार्स सफारी निर्धारित स्थल पर ही इस प्रकार खडे हो कि यातायात के संचालन में कोई अवरोध न हो और ट्रैफिक प्रभावित न हो। इस सम्बन्ध में उसे पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा, तथा भ्रमणकारियों को आसानी से सुलभ हो।
41. दैनिक शुल्क की दरें

    1. जिप्सी राईडिंग शुल्क रू0 50.00 + जी0एस0टी0 (निर्धारित दूरी)
    2. हार्स सफारी शुल्क रू0 50.00 + जी0एस0टी0 प्रति किमी0 निर्धारित

42. जिप्सी व होर्स उच्च कोटी के होने चाहिए।
43. नीलामीदाता द्वारा फूड कोर्ट में रखी गयी वस्तुओं का मूल्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विक्रय दर एवं प्रिन्ट प्राईज की सूची संस्था द्वारा लगानी अनिवार्य होगी।
44. नीलामीदाता द्वारा फूड क्योस्क संचालन में जिला खाद्य एवं अपमिश्रण विभाग के नियम व मानको के अनुसार ही वस्तुएं विक्रय हेतु रखी जायेगी। किसी भी नियम का उल्लघंन होने की स्थिति में संचालनकर्ता की स्वंम की जिम्मेदारी होगी। प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
45. नीलामीदाता द्वारा फूड क्योस्क के आस–पास की सफाई और रख–रखाव के कार्य समस्त जिम्मेदारी होगी तथा अपने खर्चे पर उच्च कोटी के डस्टबिन इत्यादि की व्यवस्था होगी।
46. नीलामीदाता को फूड क्योस्क संचालन हेतु सामग्री लाने व ले जाने एवं कर्मचारियों के प्रवेश हेतु अनुमति प्राधिकरण के नियम व शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।
47. नीलामीदाता को सिटी फॉरेस्ट में होर्डिंग लगाने की अनुमति नही होगी। केवल दुकानों पर बोर्ड लगाने की अनुमति होगी। जिसका साईज एवं लेखन विवरण तथा स्थापित करने का स्थान प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदित कराना होगा।

Scanned by CamScanner

48. साईकिलिंग व्यवस्था हेतु रास्तों की सफाई एवं सम्पत्ति का पूर्ण दायित्व नीलामीदाता का होगा और अपने खर्चे पर आवश्यक व्यवस्था स्वयं करेगा।

49. संचालनकर्ता प्रति व्यक्ति प्रति एक घण्टे के लिए अधिकतम दर रू0 50.00 + जी0एस0टी0 साईकिलिंग शुल्क के रूप में वसूल कर सकेगा तथा दरों को अकिंत करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। यदि संचालनकर्ता द्वारा उल्लंघन किया गया तो नीलामी निरस्त कर दी जायेगी और जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

50. साईकिल उच्च कोटी के पर्याप्त मात्रा में (25 नग) अवयस्क एवं वयस्क (Child & Adults) के साईज के रखने होगें। अन्यथा की स्थिति में नीलामी विलेख निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिए कोई प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

51. साईकिल ट्रैक एवं कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जायेगी तथा रख–रखाव, मरम्मत तथा आवश्यक रंगाई–पुताई एवं सफाई का दायित्व संचालनकर्ता का होगा। जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई पूतिपूर्ति नही की जायेगी।

52. प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर समस्त कार्यो के निरीक्षण का अधिकार होगा।

53. यदि एजेन्सी द्वारा समय से पूर्व कार्य को समर्पण (Surendar) किया जाता है तो जमानत के रूप में जमा धनराशि रू0 1,00,000.00 मात्र जब्त कर ली जायेगी।

54. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर कर दी जायेगी तथा समस्त कार्यो हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

13/3/2020

उप निदेशक (उद्यान)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैने उपरोक्त 1 से 54 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर ₹.............................. शब्दो में ....प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूॅ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूॅ।

हस्ताक्षर बोलीदाता

Scanned by CamScanner

Ra.C.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 577/उद्यान/20 दिनांक 13/03/2020

नीलामी सूचना

उपाध्यक्ष गाजियाबद विकास प्राधिकरण की तरफ से हिण्डन नदी के किनारे करैहडा गॉव के निकट सिटी फॉरेस्ट में निम्न कार्यों हेतु नीलामी प्रस्तावित हैः–

दिनांक 27.03.2020		समय अपरान्हः–3:30 बजे				स्थलः–प्राधिकरण सभागार
क्र. सं.	कार्य का विवरण	स्थलों की संख्या	ठेका अवधि	आरक्षित दर (एक वर्ष के लिए ₹)	फार्म फीस जी0एस0टी0 सहित	धरोहर राशि (₹)
1.	हिण्डन नदी के किनारे करैहडा गॉव के निकट सिटी फॉरेस्ट में बोटिंग, जिप्सी व हॉर्स सफारी, फूड क्योस्क एवं साईकिलिंग का पॉच वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।	01	5 वर्ष	9,01,886.00	1298.00	1,00,000.00

नीलामी से सम्बन्धित सूचना प्राधिकरण की वैबसाईट www.gdaghaziabad.com पर देखी तथा नियम व शर्तो की विवरणिका दिनांक 19.03.2020 से दिनांक 25.03.2020 तक निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करके उद्यान अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

13/3/2020

उप निदेशक (उद्यान)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

Scanned by CamScanner